राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 927/2010/डूंगरपुर

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वृत डूंगरपुर।
.....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स माया कन्स्ट्रक्शन कम्पनी,
डूंगरपुर।
.....प्रत्यर्थी

खण्डपीठ
श्री के.एल.जैन, सदस्य
श्री ओमकार सिंह आशिया, सदस्य

उपस्थित : :

श्री आर.के.अजमेरा,
उप राजकीय अधिवक्ता .....अपीलार्थी की ओर से
श्री के.एल.चंचावत, अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से

दिनांक : 16/02/2018

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी विभाग द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित अपीलीय आदेश दिनांक 12.11.2009 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, वाणिज्यिक कर अधिकारी, वर्क्स कॉन्ट्रेक्ट एण्ड लीजिंग टैक्स, उदयपुर (जिसे आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा Rajasthan Tax On Entry of Motor Vehicles into Local Areas Act, 1988 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 3 एवं 6 सपठित RST Act, 1994 की धारा 30/सपठित RVAT Act, 2003 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 19.12.2008 के जरिये आरोपित प्रवेश कर @ 12.5% रूपये 6,46,384/– एवं ब्याज रूपये 1,29,521/– कुल रूपये 7,75,905/– को अपीलीय अधिकारी द्वारा आंशिक अपास्त करते हुए प्रत्यर्थी व्यवहारी की अपील आंशिक स्वीकार की गई। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर विभाग द्वारा यह अपील अधिनियम की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा वर्ष 2006–07 में मैसर्स अशोक लिलेण्ड लिमिटेड, फरीदाबाद (हरियाणा) से पाँच Tipper Chasis कुल कीमतन रूपये 51,71,075/– खरीद करके राज्य के स्थानीय क्षेत्र में आयात किये गये। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त आयातित मोटर वाहनों पर @ 12.5% से प्रवेश कर व ब्याज आरोपित किया गया। कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपीलीय अधिकारी ने प्रत्यर्थी की अपील को आंशिक स्वीकार करते हुए प्रवेश कर @ 4% ही मानते हुए कर व अतिरिक्त आरोपित प्रवेश कर व ब्याज को अपास्त कर दिया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी राजस्व ने राजस्थान कर बोर्ड के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की है।

3. अपीलार्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि प्रत्यर्थी द्वारा राज्य के बाहर से पांच Tipper Chasis जो कि मोटर वाहन हैं, क्रय किये गये हैं तथा इन पर कर निर्धारण अधिकारी ने सही तौर 12.5 प्रतिशत से कर व

लगातार.....2

तदनुसार ब्याज आरोपित किया है, अतः उन्होंने अपीलीय अधिकारी के आदेश को अपास्त करते हुए राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

4. प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि Tipper Chasis जिसे सामान्य बोलचाल में "Dumper" कहा जाता है, पर 12.5 प्रतिशत प्रवेश कर आरोपित किया गया है, जबकि इस पर 4 प्रतिशत से ही कर देयता बनती है। चूंकि मोटर वाहन पर प्रवेश कर RST Act / RVAT Act में यथा निर्धारित दर से ही उद्ग्रहणीय होता है, अतः RVAT Act, 2003 की Schedule-IV को उल्लिखित करते हुए उन्होंने बताया कि इसकी प्रविष्टि संख्या 155 इस प्रकार है – "Hydraulic excavators (earth moving and mining machinery), mobile cranes and hydraulic dumpers (including parts thereof)", जिससे स्पष्ट है कि हाइड्रोलिक डम्पर पर कर 4 प्रतिशत से देय है। साथ ही उन्होंने राजस्थान कर बोर्ड द्वारा अपील संख्या 1741/2012/बांसवाड़ा में दिये गये निर्णय दिनांक 23.03.2015 तथा आयुक्त, वाणिज्यिक कर, राजस्थान द्वारा किये गये Determination u/s 36 of the RVAT Act, 2003 दिनांक 18.02.2015 को भी उद्धरित किया तथा इन निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं प्रस्तुत रिकार्ड अध्ययन किया गया। रिकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा वर्ष 2006–07 में फरीदाबाद (हरियाणा) से राज्य के स्थानीय क्षेत्र में पाँच Tipper Chasis कीमतन रूपये 51,71,075/– के राज्य के बाहर से आयात किये गये हैं। उल्लेखनीय है कि कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा अपील संख्या 1741/2012/बांसवाड़ा, मैसर्स वागड़ कंस्ट्रक्शन कम्पनी बनाम सहायक आयुक्त, निर्णय दिनांक 23.03.2015 एवं अपील संख्या 1491/2013/बांसवाडा मैसर्स मून मार्बल इण्डस्ट्रीज, बांसवाड़ा बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, निर्णय दिनांक 06.10.2017 में निर्णीत किया है कि 'Tipper' वस्तुतः Hydralic Dumper ही है तथा जिस पर कर दर RVAT Act की Schedule-IV की प्रविष्टि 155 के अनुसार होगी। अतः उक्त निर्णय के परिप्रेक्ष्य में अपीलीय अधिकारी का आदेश पूर्णतः विधिसम्मत है तथा इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होने से राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

6. निर्णय सुनाया गया।

(ओमकार सिंह आशिया)
सदस्य

(के.एल.जैन)
सदस्य